

न्यायालय—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—297 / 2010
 संस्थित दिनांक—09.04.2010
 फाइलिंग क.234503000082000

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **परिवादी**

/// विरुद्ध ///

इन्दरलाल पिता गणेश, उम्र—38 वर्ष,
 निवासी—ग्राम भारी, थाना बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

/// निर्णय ///

(आज दिनांक—07 / 12 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—26.07.2008 के पूर्व कान्हा टाईगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी के साथ अवैध प्रवेश कर हरे वृक्ष काटकर 29 नग बल्ली तथा 26 नग शाल की बल्ली प्राप्त कर वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास को नष्ट किया।

2— परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—26.07.2008 को वन परिक्षेत्र का कर्मचारी वनग्राम अजानपुर में भ्रमण कर रहा था, तभी वह इन्दरलाल के घर में नई लकड़ी देखकर उसके घर गया और उसे बुलाकर पूछताछ करने पर उसने लकड़ी के संबंध में कोई अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया और उसने कान्हा पार्क से लकड़ी लाना स्वीकार किया। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक—2940 / 15, धारा—27, 29, 35(6)(8) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा—51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313

द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-26.07.2008 के पूर्व कान्हा टाईगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी के साथ अवैध प्रवेश कर हरे वृक्ष काटकर 29 नग बल्ली तथा 26 नग साल की बल्ली प्राप्त कर वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास को नष्ट किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5— सीताराम राजुरकर प.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-26.07.2008 को परिक्षेत्र सहायक सुकड़ी के पद पर पदस्थ था। घटना दिनांक को उसे वनरक्षक अजानपुर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अजानपुर में नई लकड़ी पकड़ी गई है। उक्त सूचना मिलने पर वह ग्राम अजानपुर पहुंचा तो देखा कि इन्दरलाल के नए मकान में उक्त लकड़ियां लगी हुई थी। वनरक्षक राजेश कुमार सैय्याम द्वारा जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उसने आरोपी इन्दरलाल का बयान लिया था, जिसमें उसने बताया था कि वह लकड़ी कान्हा पार्क के अंदर से काटकर लाया है। उक्त बयान प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जप्तीकर्ता वनरक्षक राजेश सैय्याम ने प्रदर्श पी-2 का बयान लेख किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी चुन्नेलाल के प्रदर्श पी-3 और साक्षी काशीराम के प्रदर्श पी-4 के बयान उसके द्वारा लेख किये गए थे, जिनके अ से अ भाग पर उसके तथा ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष मौके का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके तथा ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी को 5,000/-रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया था, उक्त मुचलका प्रदर्श पी-7 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके तथा ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी से लकड़ी के संबंध में कागजात का पूछे जाने पर उसने कागजात नहीं होना व्यक्त किया था। आरोपी के घर से पकड़ी गई लकड़ियां 29 व 26 नग थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किये थे और मौके का नजरीनक्शा कार्यालय में बैठकर बनाया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि लकड़ियों की जप्ती के समय वह उपस्थित नहीं था और न ही उसके समक्ष लकड़ी जप्त हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जप्त लकड़ी किस स्थान से काटी गई थी, उस विषय में कोई नजरीनक्शा तैयार नहीं किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि कार्यवाही के समय मौके पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, परंतु उन्हें प्रकरण में साक्षी नहीं बनाया गया है।

6— राजेश कुमार प.सा.2 का कहना है कि वह दिनांक-26.07.2008 को परिक्षेत्र भैंसानघाट के अंतर्गत ग्राम अजानपुर बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपने कैंप श्रमिक के साथ गश्ती करने के लिए कक्ष क्रमांक-97 में गया था। वह आरोपी इंदरलाल को पहचानता है। गश्ती के दौरान ग्राम अजानपुर में आरोपी के घर के बगल में कुछ लकड़ियां होना व कुछ लकड़ियां घर पर लगी होना पाया था। आरोपी से उक्त लकड़ियों के बारे में पूछे जाने पर उसने लकड़ियां कान्हा नेशनल पार्क के अंदर से काटकर लाना बताया था। आरोपी के घर में लगी लकड़ियां, जिसमें साल की 26 नग एवं मियाल की 29 नग बल्लियां थी। आरोपी से उक्त लकड़ियों को रखने के संबंध में कागजात पूछे जाने पर उसने कोई कागजात नहीं होना बताया। आरोपी से साक्षियों के समक्ष लकड़ियां जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-8 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-2940/15 काटा गया था, जो प्रदर्श पी-9 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से जप्त बल्लियां उसी को सुपुर्द कर सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-10 बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी-2 का बयान परिक्षेत्र अधिकारी सीताराम राजुरकर को दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मौकापंचनामा प्रदर्श पी-11 बनाया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने नया बना हुआ मकान देखा था, इसलिए वह मौके पर गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे इस बात की जानकारी है कि पी.ओ. आर. काटने के पश्चात आरोपी के हस्ताक्षर पी.ओ.आर. पर लिये जाने चाहिए, परंतु इस प्रकरण में काटे गए पी.ओ.आर. पर उसने आरोपी के उपस्थित रहने पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं कराए। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जप्ती के संबंध में बनाए गए पंचनामे के नीचे उसने दिनांक अंकित नहीं की है और न ही इस बात का उल्लेख किया है कि पंचनामे की लकड़ियों को आरोपी ने कान्हा नेशनल पार्क के जंगल से काटा था।

7— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कक्ष क्रमांक-97 उसके अधिकार क्षेत्र में था और उस स्थान पर कोई भी पेड़ कटे हुए नहीं थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की थी।

8— काशीराम पट्टावी प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी इंदरलाल को जानता है। दिनांक-26.07.2008 को वह ग्राम अजानपुर में कैम्प श्रमिक के पद कार्यरत था। उक्त दिनांक को वह वनरक्षक राजेश सैय्याम के साथ गश्ती के दौरान कक्ष क्रमांक-97 में गया था। ग्राम अजानपुर में आरोपी इंदरलाल से नई लकड़ी कहां से लाने का पूछे जाने पर उसने बताया कि वह लकड़ी नेशनल पार्क के अंदर से चोरी करके लाया है। उक्त लकड़ी को रखने के संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। आरोपी इंदरलाल के घर पर 29 नग बल्ली, 26 नग मियाल थी, जिसमें से उसने पूरी

मियाल और कुछ बल्ली घर पर लगा चुका था और कुछ शेष बल्ली रखी हुई थी। मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-11 वनरक्षक द्वारा बनाया गया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-8 एवं पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-9 की कार्यवाही की गई थी। प्रदर्श पी-8 में उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के संबंध में उसने अपना बयान प्रदर्श पी-4 दिया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त मियाल एवं बल्ली को आरोपी को सुपुर्दनामे पर दिया गया था, सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-10 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को बल्ली काटते हुए नहीं देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपी के मकान में किस प्रजाति की कितनी लकड़ियां लगी हुई थी, यह उसने नहीं देखा। साक्षी ने स्वीकार किया कि मियाल और बल्ली किस जंगल से काटी गई थी, इसका मिलान खूंटों से नहीं किया गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-4 का बयान पढ़कर नहीं देखा था और वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी-4 के बयान में वनरक्षक ने क्या लिखा था।

9— प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी अपने पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बना रहा था और पुराने मकान की बल्ली, मियाल को निकालकर नये मकान में लगा रहा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था।

10— सुरेन्द्र कुमार खरे प.सा.4 का कहना है कि वह दिनांक-26.07.2008 को वन परिक्षेत्र भैंसानघाट में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक-2940 / 15, दिनांक-26.07.2008 की विवेचना हेतु परिक्षेत्र सहायक सुकड़ी सीताराम राजुरकर को अधिकृत किया गया था। उक्त विवेचना उपरांत उसके समक्ष दस्तावेज जांच हेतु रखे गए थे। दस्तावेजों की जांच एवं सत्यता उपरांत उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रदर्श पी-12 का परिवादपत्र न्यायालय समक्ष पेश किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जांच के दौरान प्रदर्श पी-11, 08, 09, 01, 02, 03, 04, 10 के सी से सी भाग पर उसके प्रति-हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि विवेचना की कार्यवाही के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उसने दस्तावेजों पर प्रतिहस्ताक्षर किये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि आरोपी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था और उसने अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

11— प्रकरण में परिवादी साक्षी सीताराम राजुरकर प.सा.1 ने यह कहा है कि वह ग्राम अजानपुर गया था, तब आरोपी के नये मकान में लकड़ियां लगी हुई थी, परंतु जप्ती की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। साक्षी राजेश कुमार प.सा.2 द्वारा जप्ती की

कार्यवाही की गई थी। उसने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह कहा है कि आरोपी के पास साल की 26 नग व मियाल की 26 नग बल्लियां थी, जिसके संबंध में उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 बनाया था और हस्ताक्षर किये थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 में इस बात का उल्लेख है कि साल की 26 नग जिसकी गोलाई 54 से.मी., लंबाई 4.50 मीटर तथा 29 नग सत्कठा लकड़ी जिसकी गोलाई 31/40, लंबाई 3 से 5 मीटर थी, जो आरोपी इन्दरलाल से दिनांक-26.07.2008 को जप्त की गई थी। प्रतिपरीक्षण में परिवादी साक्षी राजेश कुमार प.सा.2 इस बिन्दु पर अखण्डित रहा है कि उसने आरोपी के आधिपत्य से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-8 की लकड़ियां जप्त नहीं की थी।

12— काशीराम पट्टावी प.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि पूछताछ करने पर आरोपी इन्दरलाल ने बताया था कि वह लकड़ी कान्हा नेशनल पार्क से चुरा कर लाया है। साक्षी काशीराम प.सा.3 द्वारा भी लकड़ी के विषय में 29 नग बल्ली तथा 26 नग मियाल होना उल्लेखित किया गया है। यह साक्षी इस बिन्दु पर अखण्डित रहा है कि आरोपी के आधिपत्य से लकड़ी जप्त नहीं की गई थी। बचाव पक्ष द्वारा परिवादी साक्षी से यह प्रश्न अवश्य पूछा गया था कि उन्होंने उस स्थान का मौकानक्शा अथवा वह टूट जिनकी लकड़ी आरोपी के आधिपत्य से जप्त की गई थी, जिसके विषय में कोई कार्यवाही नहीं की थी, परंतु आरोपी के पास वह लकड़ी किस प्रकार से आई थी, इसे सिद्ध करने का भार आरोपी पर था और उसके द्वारा युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया गया है कि जप्तशुदा लकड़ी उसके आधिपत्य में कैसे आई।

13— पंचनामा की कार्यवाही को साक्षी राजेश कुमार प.सा.2 तथा काशीराम प.सा.3 ने प्रमाणित किया है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि आरोपी ने बताया था कि वह लकड़ी जंगल से काटकर लाया है। आरोपी का बयान प्रदर्श पी-1 साक्षी सीताराम प.सा.1 ने लेख किया था। इस कार्यवाही को परिवादी साक्षी सीताराम राजुरकर प.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रमाणित किया है और कहा है कि उसने आरोपी के बयान लेख किये थे, जिसमें आरोपी ने बताया था कि वह साल की लकड़ी एवं सत्कठा की लकड़ी नेशनल पार्क के अंदर से काटकर लाया था। प्रतिपरीक्षण में परिवादी साक्षी सीताराम प.सा.2 इस बिन्दु पर अखण्डित रहा है कि उसने आरोपी के बताए अनुसार उसके बयान लेख नहीं किये थे। बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में यह आधार भी लिया गया है कि मौके पर कार्यवाही की जाते समय अनेक लोग उपस्थित हो गए थे, परंतु फिर भी उनमें से किसी का स्वतंत्र गवाह प्रकरण में नहीं बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ यू.पी. विरुद्ध बल्लभदास, ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1384 में यह प्रतिपादित किया है कि गांव में जहां अलग-अलग दल बने होते हैं वहां यह असंभव होगा की कोई स्वतंत्र व्यक्ति सामने आकर घटना के बारे में गवाह दे ऐसे में किसी पक्ष विशेष के गवाह ही प्राकृतिक और संभाव्य गवाह होते हैं। वन विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही

में गांव के लोगों का स्वतंत्र गवाह के रूप में साक्षी बनाया जाना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में परिवादी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी इन्दरलाल द्वारा कान्हा टाईगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र कोर जोन के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी के साथ अवैध प्रवेश कर हरे वृक्ष काटकर 29 नग बल्ली तथा 26 नग साल की बल्ली प्राप्त कर वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास को नष्ट किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 का अपराध किया जाना प्रमाणित हो रहा है। अतः आरोपी को उपरोक्त धाराओं में सिद्धदोष पाया जाता है।

14— आरोपी द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुये तथा इस प्रकार के अपराध से वनों को हो रहे नुकसान एवं राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा के प्रभावित होने से आरोपी को परीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर बाद पुनः प्रस्तुत हो।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर 80प्र0

पुनश्च:-

15— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी द्वारा यह अपराध प्रथम बार किया गया है। आरोपी वनक्षेत्र का ही रहने वाला है, इसलिए उसे नियमों की जानकारी नहीं थी। अतः आरोपी को सरल दंड आदेश दिया जावे।

16— आरोपी के द्वारा व वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत अपराध किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 3000/- (तीन हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि न चुकाये जाने की दशा में आरोपी को 1 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

17— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द0प्र0सं0 की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

18— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— आरोपी को निर्णय की एक प्रति तत्काल निःशुल्क प्रदान कि जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी साल की 26 नग जिसकी गोलाई 54 से.मी., लंबाई 4.50 मीटर तथा 29 नग सत्कठा लकड़ी जिसकी गोलाई 31/40, लंबाई 3 से 5

मीटर वन विभाग द्वारा सुपुर्ददार इंदरलाल पिता गणेश, निवासी ग्राम अजानपुर थाना बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित
कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया
गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)